17

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 875-तीन/2014 - विरूद्ध आदेश दिनांक 20-1-2014 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 1441/2005-06 अपील

1- शिवेन्द्र सिंह पुत्र बृजेन्द्र सिंह
2- बृजेन्द्र सिंह 3- बीरेन्द्र सिंह
पुत्रगण चन्द्रवली सिंह निवासी
ग्राम मझगवां तहसील सिरमौर जिला रीवा -----आवेदकगण

विरूद्ध

1- गंगा सिंह 2- रबिनन्दन सिंह पुत्रगण इन्द्रजीत सिंह
3- श्रीमती सूरजसिंह पत्नि स्व. सूर्यवली सिंह
4- भारतसिंह 5- कुंजविहारी सिंह 6- सत्रुहन सिंह
पुत्रगण सूर्यवली सिंह निवासी ग्राम मझगवां
तहसील सिरमौर जिला रीवा मध्यच प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवदेक के अभिभाषक श्री राजेन्द्र तिवारी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री बद्री सिंह)

आ दे श

(आज दिनांक 02-11 -2017 को पारित)

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 1441/05-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-1-2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक-1 ने नायव तहसीलदार उप तहसील गंगेढ़ तहसील मनगवॉ को म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर स्वर्गीय इन्द्रवली सिंह की

भूमि पर बसीयत के आधार पर नामान्तरण की मांग की । नायव तहसीलदार उप तहसील गंगेढ़ तहसील मनगवॉ ने प्रकरण कमांक 17 अ-6/04-05 पॅजीबद्व किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 15-3-2005 पारित करके मृतक इन्द्रवली सिंह की भूमि पर आवेदक कमांक-1 का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष अनावेदकगण ने अपील प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने प्रकरण कमांक 150/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-7-2006 से अपील खारिज कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 1441/05-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-1-2014 से अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त कर दिये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख कें अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 1441/05-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-1-2014 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश इस आधार पर निरस्त किये हैं क्योंकि नायव तहसीलदार ने अनावेदकगण को जो सूचना भेजी है वह अनावेदकगण पर निर्वहन नहीं कराई गई है क्योंकि सूचना पत्र की दोनों प्रतियां तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न पाई गई हैं। यदि सूचना का एकवार सम्यक निर्वहन अनावेदकगण पर नहीं हुआ था, नायव तहसीलदार को पुनः सूचना चस्पीदगी से करना थी, जो नहीं कराई गई। नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 15-3-2005 के अवलोकन पर आदेश में अंकित अनुसार स्थिति इस प्रकार है :-

" प्रकरण पॅजीबद्व किया जाकर अनावेदकों को सूचना जारी की गई जो अदम तामील वापस प्राप्त हुई। पुनः चस्पानगी नोटिस जारी की गई। अनावेदकगण अनुपस्थित रहे। अनावेदकगणों के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। "

नायव तहसीलदार के प्रकरण में चस्पीदगी हेतु भेजे गये नोटिस की दोनों प्रतियॉ संलग्न है, चस्पीदगी किस नोटिस की हुई, अपर आयुक्त व्दारा सही निष्कर्ष निकाल कर आदेश पारित किया गया है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 1441/05-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-1-2014 में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है। जहॉ तक मान. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सिरमौर जिला रीवा व्दारा व्यवहार वाद कमांक 70 ए/2013 में पारित आदेश दिनांक 30-4-14 का प्रश्न है ? माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है जिसके कारण पक्षकार तहसील न्यायालय में मान. व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 1441/05-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-1-2014 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर